XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

07.02.2012

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–152/2002

धारा 21(B) B.P.P.H.T. Act. अन्तर्गत

1. मो0 सदेर आलम
2. मो0 सबीर
3. मो0 रईस

तीनों के पिता–स्व0 हसीब मियाँ

सा0–सबूतर (टोला–मगरैली), थाना–के0नगर, पूर्णियाँ

———आवेदकगण

बनाम

1. मसो0 हसीना, पति–स्व0 रफीक मियाँ
2. मो0 शहाबुद्दीन
3. मो0 नुरूद्दीन
4. मो0 हारून

तीनों के पिता–स्व0 आसीन मियाँ

5. गुलाम रसूल, पिता–स्व0 अब्दुल मियाँ
6. मो0 इसराईल
7. मो0 कलीम
8. मो0 ताहीर
9. मो0 जागीर

चारों के पिता–स्व0 अजीज मियाँ

सभी का सा0–सबूतर (टोला–मगरैली), थाना–के0नगर, पूर्णियाँ

———विपक्षीगण

आवेदकगण अंचल पदाधिकारी, के0नगर द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0 30/92–93, 564/74–75 एवं 568/74–75 द्वारा निर्गत पर्चा को रद्द करने हेतु यह वाद प्रारंभ किया हैं। अगस्त 2002 ई0 में आवेदक को विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि विपक्षीण कुछ वर्ष पहले हीं उनके जमीन का बासगीत पर्चा बनवा लिया हैं। इसकी सत्यता का पता करने के लिए आवेदक अंचल कार्यालय, के0नगर गया जहॉ हल्का कर्मचारी से पता चला कि विपक्षीगण कुल चार बासगीत पर्चा बनवाया है। बजाप्ता नकल लेने के बाद स्पष्ट हो गया कि विपक्षीगण गलत तरीके से नियम के विरूद्ध पर्चा बनवाया है। विपक्षी सं0 1 मौजा–बिठनौली खेमचन्द खाता सं0 28 खेसरा सं0 4557 रकवा 7 डि0 का पर्चा अपने नाम बनवाई है। जबकि विपक्षी सं0 पर्चा वाली जमीन से 1 कि0मी0 दूर अपनी नाती (Grand Children) के पास विगत कई वर्षों से रह रही है। विपक्षी सं0 2, 3 एवं 4 खाता सं0 28 खेसरा सं0 4559 रकवा 02 डि0 जमीन का पर्चा संयुक्त रूप से वाद सं0 30/92–93 द्वारा बनवाया हैं। विपक्षी सं0 2 भी 1 कि0मी0 दूर इन्दिरा नगर में कई वर्षों से खाता सं0 2140 खेसरा सं0 4710 में रह रहा है। विपक्षी सं0 5 खाता सं0 28, खेसरा सं0 4559 रकवा 4 डि0 एवं खेसरा सं0 4557 रकवा 2 डि0 कुल रकवा 6 डि0 का पर्चा वाद सं0 564/7475 द्वारा बनवाया है, जबकि विपक्षी सं0 5 का घर खेसरा सं0 4559/10155 में स्थित है। अतिरिक्त विपक्षी सं0 5 नं खाता सं0 1636 खेसरा सं0 4552 रकवा 7.5 डि0 जमीन दिनांक

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

11.07.88 को खरीदा है। विपक्षी सं0 6, 7, 8 एंव 9 अपने नाम से संयुक्त रूप से खाता सं0 28 खेसरा सं0 4558 रकवा 4 डि0 जमीन का पर्चा वाद सं0 30/92–93 द्वारा बनवाया है। विपक्षी सं0 6 एवं 8 का घर उनके द्वारा दिनांक 11.07.88 को खरीदे गए जमीन खेसरा सं0 4552 में स्थित है। विपक्षी सं0 7 शादी के बाद से अपने ससुराल भवानीपुर में रहता है। विपक्षी सं0 9 लगभग 12–13 वर्षो से सपरिवार दिल्ली में रहता है। इस प्रकार एक भी विपक्षी का घर पर्चा वाली जमीन पर नहीं है। पर्चा वाली जमीन उनके दादा के नाम से मकनमय सहन बना हुआ है। अंचल पदाधिकारी द्वरा पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूस्वामी को सूचना भी नहीं दी गई। अतः आवेदकगण इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि विपक्षीगण के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी सं0 5 से 9 का कथन है कि यह वाद आवेदकण पैतृक पक्ष (Paternal side) के वारिस एवं विपक्षीण सं0 5 से 9 मातृक पक्ष (Maternal side) के वारिस के बीच हैं। प्रश्नगत जमीन के भूस्वामी किताब अली थे। जिन्होंने विपक्षीगण सं0 5 से 9 के पिता को प्रश्नगत जमीन दी थी। उनलोगों के नाम जमीन का कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए उनलोगों ने बासगीत पर्चा बनवाया। विपक्षी सं0 1 से 4 के साथ उनलोगो का कोई संबंध नहीं है। अतः अंचल पदाधिकारी द्वारा बासगीत पर्चा वाद सं0 30/92–93 एवं 574/74–75 द्वारा निर्गत पर्चा नियमानुकूल है। अतः विपक्षी सं0 5 से 9 इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

अंचल पदाधिकारी, के0नगर अपने पत्रांक–111, दिनांक–29.01.10 द्वारा प्रतिवेदित किए है कि पर्चा वाली जमीन के खतियानी रैयत दोस्त मोहम्मद, पिता–शेख किताब अली है। अपीलकर्त्ता खतियानी रैयत के पौत्र (Grand son) हैं। प्रश्नगत जमीन पर एक भी पर्चाधारी का घर नहीं है, बल्कि उनलोगों का घर अलग–अलग जगहों पर हैं। विपक्षी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है। वर्त्तमान में पर्चा वाली जमीन पर जमीन मालिक का ही दखल है। साथ ही अपीलकर्त्ता के पास भी एक एकड़ से कम जमीन है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 04.08.2011 को सुनवाई की गयी। उभय पक्षों के द्वारा अपने लिखित बयान में वर्णित बातों को दोहराया गया।

पुनः दिनांक 03.02.2012 को सुनवाई हेतु रखी गयी।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के बाद स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। इस वाद को पुनः अंचलाधिकारी, कृत्यानन्द नगर को भेजते हुए 03 (तीन) माह के अन्दर नियमानुसार निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है। इस आदेश के साथ यह वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ